



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1809]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2015/भाद्र 3, 1937

No. 1809]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2015/BHADRA 3, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

**का.आ. 2335(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में – तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कॉलम (1) में तदनु रूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड की लंबाई किमी में
(1)	(2)	(3)
"47"	तिरुवनंतपुरम – केरल/तमिलनाडु सीमा खंड (केरल राज्य में)	किमी 0.000 से किमी 43.000"

[फा. सं. एनएच-14013/10/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, 25th August, 2015

**S.O. 2335(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

**TABLE**

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
“47	Thiruvananthapuram-Kerala/Tamilnadu border section  (In the State of Kerala)	Km. 0.000 to Km. 43.000”

[F. No. NH-14013/10/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

**का.आ. 2336(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (3) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (2) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**सारणी**

(1)	(2)	(3)
“12.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17, सं. 47 [किमी 0.000 से किमी 43.000 (तिरुवनंतपुरम – केरल/तमिलनाडु सीमा खंड) और किमी 182.040 से किमी 358.750	केरल राज्य सरकार”

	(तमिलनाडु/केरल सीमा से कोच्चि) तक खंड को छोड़कर], सं. 47ए, सं. 49, सं. 208, सं. 212, सं. 213, सं. 220, नई रारा सं. 183ए और नई रारा सं. 185 के उतने भाग जो केरल राज्य में अवस्थित हैं।	
--	---	--

[फा. सं. एनएच-14013/10/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ. 809(अ), तारीख 20 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2015

**S.O. 2336(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

**TABLE**

(1)	(2)	(3)
“12	So much of National Highways No. 17, No. 47 [excluding from <b>Km. 0.000 to Km. 43.000 (Thiruvananthapuram-Kerala/Tamilnadu border section)</b> and from Km. 182.040 to Km. 358.750 (from Tamil Nadu/Kerala Border to Kochi)], No. 47A, No. 49, No. 208, No. 212, No. 213, No. 220, new NH No. 183A and new NH No. 185 as are situated within the State of Kerala.	State Government of Kerala”

[F. No. NH-14013/10/2014-P&amp;M]

MAYA PRAKASH, Director (P&amp;B)

**Foot note:** - The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 809(E), dated the 20<sup>th</sup> March, 2015.